

क्षेत्रिय शिक्षा संस्थान, भोपाल


फा. सं. /क्षेशिसं./भोपाल/पेंशन अदालत/2023/

दिनांक : 12.05.2023

अधिसूचना पेंशन अदालत

क्षेत्रिय शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा दिनांक 17.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तथा दोपहर 03.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गूगल मीट की लिंक <https://meet.google.com/csd-qtsq-obe> पर आयोजित की जायेगी। इस संबंध में, क्षेत्रिय शिक्षा संस्थान भोपाल के पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी जिन्हें कोई भी शिकायत हो, वे अपना आवेदन लेखा अधिकारी, आर. आई.ई, भोपाल को दिनांक 17.05.2022 प्रातः 11.00 बजे तक या उससे पहले भेज सकते हैं, जिससे की शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच की जा सकें। कृपया ध्यान दें कि केवल उन्हीं शिकायतों को लिया जाना है, जो मौजूदा पेंशन नीति तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती है। शिकायत को ई-मेल (riebpl.accounts@gmail.com) पर भेजा जा सकता है (फोन नं० 0755- 2522010, 2522002)।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


16/5/23
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी, आई.सी.टी. , कृपया कक्ष क्रमांक 03 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये प्रबंध करने की व्यवस्था करें।
2. प्रभारी, आई.सी.टी. / वेबसाइट, कृपया उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।